# पॉलिसी: गेट पास सिस्टम

**पॉलिसी संख्या – 74**

**जारी होने की तारीख – 08/07/2022**

**किस पर लागू है – कम्पनी के सभी कर्मचारियों पर**

**पॉलिसी में पेजों की कुल संख्या – 1**

रोज़ाना काम-काज के दौरान कभी-कभी कर्मचारियों को ऐसे कारणों से बाहर जाना पड़ता है जो ऑफिस के या निजी प्रकृति के हो सकते हैं।

ऐसे सभी मामलों में विभाग प्रमुखों (HOD's) के अलावा किसी भी अन्य कर्मचारी को अप्रूवड गेट-पास के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

ऑफिस के या निजी कारणों से बाहर जाने के लिए सभी को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा –

1- आपको एच-आर विभाग में जाना होगा और आवश्यकता के अनुसार (ऑफिस के या निजी काम का) गेट-पास प्राप्त करना होगा। (आधिकारिक कारणों और निजी कारणों के लिए हमारे पास अलग-अलग गेट-पास हैं) ।

2- गेट पास भरें और एच-आर विभाग में रखी लॉगबुक में एंट्री करें।

3- ज़रूरत पड़ने पर एच-आर विभाग में उपलब्ध कर्मचारियों से लॉगबुक मांग लें।

4- अपने विभाग प्रमुख (HOD) से गेट पास अप्रूव करवाएं।

5- यदि आपके विभाग प्रमुख (HOD) ऑफिस/ फैक्ट्री में उपलब्ध नहीं है, तो आप इसे व्हाट्सएप पर अपने विभाग प्रमुख द्वारा अप्रूव करा लें।

6- यदि आपके विभाग प्रमुख (HOD) ऑफिस/ फैक्ट्री में या व्हाट्सएप पर उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में कर्मचारी किसी भी अन्य विभाग (HOD) प्रमुख से अप्रूव करवा सकते हैं जो उस समय उपलब्ध हो।

7- गेट पास अप्रूव होने के बाद, कर्मचारी इसे गेट पर सुरक्षा गार्ड के पास जमा कर दें।

8- सुरक्षा गार्ड, स्टाफ को गेट पास देने के बाद ही बाहर जाने देंगे।

9- यदि कर्मचारी बहुत कम समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें अपने वापसी के समय को उसी लॉगबुक में एंट्री करना होगा जो एच-आर विभाग में रखा गया है।

10- गार्ड दिन के अंत तक एकत्र किए गए सभी गेट पास एच-आर विभाग में जमा कर देंगे।

11- एच-आर विभाग यह जांच करेगा कि लॉगबुक और गेट पास का डेटा मेल कर रहा है या नहीं।

12- निजी गेट पास का उपयोग महीने में केवल दो बार करने की अनुमति है, इसके बाद कर्मचारियों की छुट्टी में से उसे काटा जायेगा।

13- ऐसे गेट-पास जिनकी एंट्री लॉगबुक में नही है, उन्हें छुट्टी के रूप में माना जाएगा।

14- जो स्टाफ विभाग-प्रमुख (HOD) नहीं हैं, लेकिन सीधे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, वे अपने गेट पास को एच-आर प्रमुख (HR Head) या लीगल प्रमुख (Legal Head)/ या जब एच-आर प्रमुख या लीगल प्रमुख न हों केवल उस स्थिति में वे अन्य विभाग प्रमुख (HOD) से अप्रूव करा सकते हैं।

15- सुरक्षा गार्ड्स के पास विभाग प्रमुखों (HOD's) की सूची होगी जिन्हें गेट-पास की आवश्यकता नहीं है, उनके अलावा अन्य सभी को उपरोक्त क्रम के अनुसार गेट पास जमा करना है।

HR and Management Approved

16- कम्पनी के वे कार्यालय जहां हमारे पास सुरक्षा कर्मचारी नहीं हैं, उस स्थिति में, कर्मचारी इसी पॉलिसी का पालन करेंगे, हालांकि वे अपने गेट-पास की फोटो एच-आर कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर भेज देंगे ताकि इसे लॉगबुक में दर्ज किया जा सके।

उन कर्मचारियों की सूची जिन्हे गेट पास की जरुरत नहीं है -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| एकाउंट्स प्रमुख | लीगल प्रमुख | एच-आर प्रमुख | डोमेस्टिक प्रमुख 1 | डोमेस्टिक प्रमुख 2 |
| गुणवत्ता प्रमुख | एक्सपोर्ट प्रमुख | आर्गेनिक एक्सपोर्ट प्रमुख | धान खरीद प्रमुख | फील्ड बॉयज/ रनर्स |

ok Approved

HR and Management * Approved *

ok Approved

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत